डीएपी विशेष पैकेज और फसल बीमा योजनाओं की अवधि बढ़ी

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्र सरकार ने डाईअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक पर एकमुश्त विशेष सब्सिडी में वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही, दो महत्वपूर्ण कृषि बीमा योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ये दोनों ही कदम किसानों को आने वाले वर्षों में वित्तीय सहायता और जोखिम कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:

- **डीएपी विशेष पैकेज का विस्तार:**
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 जनवरी, 2025 से, डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष सब्सिडी दी जाएगी।
  - यह सब्सिडी किसानों को डीएपी उर्वरक की सुलभता सुनिश्चित करेगी, जोकि फसल उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
  - इस पैकेज के लिए लगभग 3,850 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जोकि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **फसल बीमा योजनाओं को जारी रखना :**
  - केंद्र सरकार ने किसानों की आय को स्थिर करने और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय। इन योजनाओं के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  - इन योजनाओं के तहत, किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। इससे किसानों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलती है और वे कृषि गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।
  - सरकार ने इन बीमा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) की स्थापना की है। एफआईएटी कोष के लिए 824.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **मौसम सूचना और नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS):**
  - मौसम से संबंधित डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए, 2024-25 में WINDS पहल को लागू किया जाएगा। यह प्रणाली मौसम पूर्वानुमान को बढ़ावा देगी और किसानों को समय पर और सटीक मौसम अपडेट प्रदान करेगी, जिससे बेहतर फसल योजना और जोखिम शमन में सहायता मिलेगी।
- **गैर-बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता ज्ञापन :**
  - मंत्रिमंडल ने गैर-बासमती सफेद चावल (एनबीडब्ल्यूआर) के व्यापार के लिए भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दे दी है। यह समझौता उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर सालाना एक मिलियन मीट्रिक टन तक एनबीडब्ल्यूआर के व्यापार की अनुमति देता है।

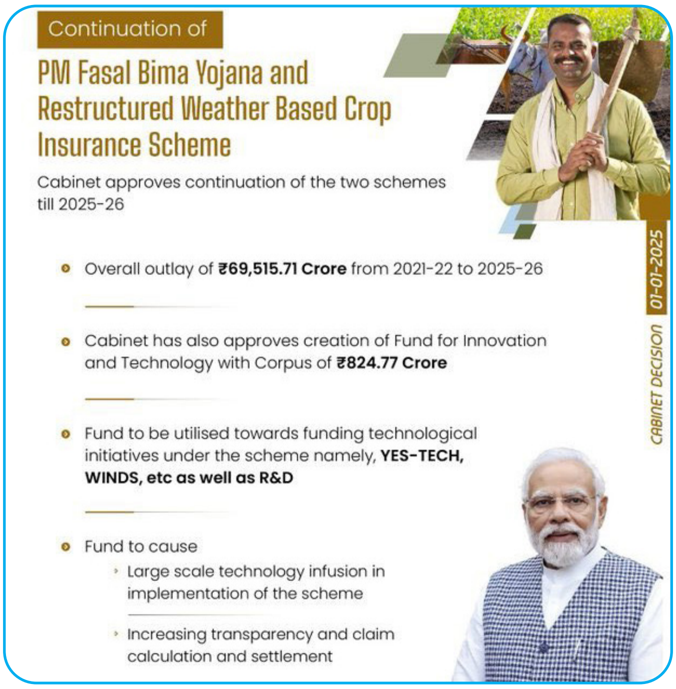

निर्णयों के लाभ:

- **उर्वरकों की लागत का प्रबंधन:** विशेष डीएपी सब्सिडी से किसानों को इनपुट, विशेष रूप से उर्वरकों की बढ़ती लागत को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहेगा। इससे फसल की पैदावार में सुधार होगा, जिससे किसानों और समग्र रूप से कृषि अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।
- **प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा:** पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस योजनाओं को जारी रखते हुए सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को भारी नुकसान का सामना न करना पड़े और वे अपनी फसलों को हुए नुकसान से उबर सकें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- **बीमा में तकनीकी प्रगति:** FIAT के निर्माण और WINDS के कार्यान्वयन से कृषि बीमा के तकनीकी ढांचे में वृद्धि होगी, जिससे मौसम की अधिक सटीक भविष्यवाणी और बीमा दावों की प्रक्रिया में

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

आसानी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान अप्रत्याशित मौसम से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।

- **आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार:** समझौता ज्ञापन से भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए बाजार खुलेंगे, व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि में योगदान मिलेगा। यह वैश्विक कृषि बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जी.एम. फसल पैनल

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF-CC) ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) के लिए विशेषज्ञों के चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब, GEAC में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले विशेषज्ञों को यह घोषित करना अनिवार्य होगा कि उनके पास किसी भी प्रकार का हितों का टकराव तो नहीं है।

मुख्य संशोधन:

- नए नियमों के अनुसार GEAC के विशेषज्ञों को किसी भी वित्तीय, पेशेवर या व्यक्तिगत हितों का खुलासा करना होगा जोकि उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें GM फसलों से संबंधित संगठनों के साथ कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ाव शामिल है।
- हितों के टकराव वाले विशेषज्ञों से अपेक्षा की जाती है कि वे चर्चाओं से खुद को अलग रखें, जब तक कि विशेष रूप से भाग लेने का अनुरोध न किया जाए। समिति में शामिल होने से पहले, विशेषज्ञों को शुरू से ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पिछले दशक में अपने पेशेवर जुड़ावों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत फॉर्म भी जमा करना होगा।

जीईएसी के बारे में:

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य जीएम जीवों और उत्पादों, जैसे जीएम फसलों के विमोचन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना है। समिति जीएम प्रौद्योगिकियों से जुड़े पर्यावरण और सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन करती है। इसमें विज्ञान, पर्यावरण नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

हितों के टकराव के प्रावधान:

- हितों के टकराव के नए प्रावधान जीईएसी की निर्णय लेने की प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अघोषित टकरावों से पक्षपातपूर्ण सिफारिशें हो सकती हैं, जोकि संभावित रूप से कुछ कंपनियों या प्रौद्योगिकियों के पक्ष में हो सकती हैं।
- इस तरह के पूर्वाग्रह समिति के काम की निष्पक्षता को कमजोर कर सकते हैं और जनता के भरोसे को खत्म कर सकते हैं, विशेषकर जीएम फसलों जैसे संवेदनशील मामलों में। अपडेट किए गए नियमों का उद्देश्य ऐसे मुद्दों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्य और सार्वजनिक कल्याण पर आधारित हों।

ऐतिहासिक संदर्भ और कानूनी घटनाक्रम:

- जीएम फसल विनियमन में हितों के टकराव का मुद्दा जारी रहा है। 2013 में, गैर सरकारी संगठनों ने GEAC समिति के एक सदस्य के मोनसेंटो, एक प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ संबंधों के बारे में चिंता जताई। इससे अधिक पारदर्शिता की मांग उठी। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया, जिसमें हितों के टकराव के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

निहितार्थ:

- हितों के टकराव का खुलासा पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने को रोकने और जीएम फसल विनियमन में जनता के विश्वास की रक्षा करने में मदद करेगा। यह भी सुनिश्चित करता है कि समिति के निर्णय निजी हितों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष में संशोधन हेतु कार्य समूह गठित

संदर्भ: हाल ही में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वर्तमान श्रृंखला के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। संशोधन का उद्देश्य WPI को अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल बनाना है, ताकि मूल्य सूचकांक प्रासंगिक और विश्वसनीय संकेतक बन सके।

कार्य समूह की संरचना:

- कार्य समूह का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद करेंगे, जोकि इसके अध्यक्ष होंगे। इस समूह में आर्थिक सलाहकार, सांख्यिकीविद्, सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री और उद्योग और शिक्षा जगत के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, विविध दृष्टिकोण लाने के लिए कई गैर-आधिकारिक अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के बारे में:

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) उपभोक्ता बाजार तक पहुँचने से पहले

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

व्यवसायों के मध्य थोक में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित WPI विनिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के रुझान को ट्रैक करने में मदद करता है। WPI में वृद्धि मुद्रास्फीति के दबाव का संकेत देती है, जबकि गिरावट कम मुद्रास्फीति को दर्शाती है।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मुद्रास्फीति सूचकांक:

- WPI वस्तुओं के थोक मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) औसत मूल्य को ट्रैक करता है जोकि घर-परिवार वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। WPI थोक स्तर पर वस्तुओं तक सीमित है, जबकि CPI में वस्तुएँ और सेवाएँ दोनों शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए CPI का उपयोग करता है, क्योंकि यह उपभोक्ता मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से दर्शाता है।

थोक मूल्य सूचकांक में संशोधन :

- 2017 में, GDP और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे आर्थिक संकेतकों के साथ संरेखित करने के लिए WPI आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था। इस अद्यतन ने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाने में WPI की सटीकता में सुधार किया।

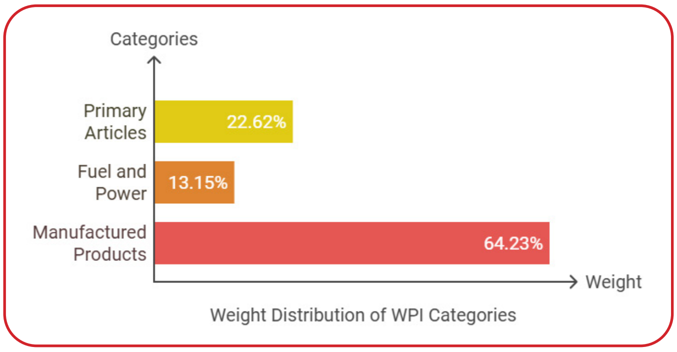

Weight Distribution of WPI Categories

थोक मूल्य सूचकांक की गणना:

- WPI की गणना वस्तुओं की एक टोकरी से कीमतों के भारित औसत का उपयोग करके की जाती है, जिसे तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - प्राथमिक वस्तुएँ (22.62%): इसमें खाद्य और कृषि उत्पाद जैसे कच्चे माल शामिल हैं।
  - ईंधन और बिजली (13.15%): इसमें तेल और कोयला जैसे ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं।
  - निर्मित उत्पाद (64.23%): इसमें औद्योगिक उत्पाद और मशीनरी शामिल हैं।
- WPI कुल 697 वस्तुओं को ट्रैक करता है, जिसमें 117 प्राथमिक वस्तुएँ, 16 ईंधन वस्तुएँ और 564 उत्पाद शामिल हैं।

महत्व:

- भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती संरचना के साथ सूचकांक को संरेखित रखने के लिए WPI आधार वर्ष का संशोधन महत्वपूर्ण है। अद्यतन सूचकांक मूल्य परिवर्तनों का अधिक सटीक प्रतिबिंब प्रदान करेगा, नीति, व्यवसाय और वित्तीय नियोजन के लिए बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करेगा।

भारत-मालदीव संबंध

संदर्भः हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य समझौता ज्ञापनः

- **उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापनः** भारत और मालदीव ने भारत की अनुदान सहायता से वित्त पोषित उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) के चरण-III के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मुइज़ू की यात्रा के दौरान किए गए समझौतों का अनुसरण करता है।
- **सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावाः** दोनों देशों ने सीमा पार लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए रूपरेखा समझौते का स्वागत किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

इस समझौता ज्ञापन के निहितार्थः

- भारत मालदीव में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) को लागू करेगा, जिसका वित्तपोषण भारत की अनुदान सहायता से होगा, जिससे भारत की पड़ोस प्रथम नीति और विजन SAGAR के तहत संबंधों को मजबूती मिलेगी।
- भारत-मालदीव सहयोग में वृद्धि से क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा में योगदान मिलता है।
- नेताओं के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं बेहतर संबंधों का संकेत देती हैं, जो ऋण राहत, आर्थिक सहयोग और शांति पर केंद्रित हैं।
- मजबूत संबंध हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

भारत के लिए मालदीव का महत्व:

- **भू-राजनीतिक:** मालदीव भारत की पड़ोस प्रथम नीति (NFP) और SAGAR नीति के लिए केंद्रीय स्थान रखता है, जोकि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **रणनीतिक महत्व:** हिंद महासागर में प्रमुख चोकपॉइंट्स पर स्थित होने के कारण यह नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **भू-अर्थशास्त्र:** मालदीव प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है, जोकि भारत के व्यापार और ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया।
- **सुरक्षा:** मालदीव आतंकवाद, समुद्री डकैती और हिंद महासागर में चीन के रणनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **प्रवासी और पर्यटन:** बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय कार्यबल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ :

- **भारत विरोधी भावनाएँ:** 'इंडिया आउट कैंपेन' द्वारा भारतीय सैन्य उपस्थिति को कम करने और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को रोकने की बढ़ती माँगें।
- **चीनी प्रभाव:** चीनी निवेश में वृद्धि और सिनामाले ब्रिज जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ भारत के लिए चिंताएँ बढ़ाती हैं।
- **कट्टरपंथ:** इस्लामी चरमपंथी समूहों का विकास, जो संभावित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
- **अविश्वास में वृद्धि:** उथुरु थिला फाल्हू हार्बर जैसी परियोजनाओं पर अटकलें अविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं।

पॉवर पैक्ड न्यूज

रूस में पर्यटक कर लागू

- रूस ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू किया है, जो क्षेत्रीय पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कर के तहत, होटल और अन्य आवास में ठहरने वाले पर्यटकों को ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% देना होगा। यह दर 2027 तक बढ़ाकर 3% की जाएगी।
- यह कर पहले लागू रिसॉर्ट शुल्क की जगह लेगा। इस पहल को जुलाई 2024 में रूसी कर संहिता में संशोधन के तहत पेश किया गया था। कई पर्यटन-प्रधान क्षेत्रों ने इसे पहले ही अपना लिया है।
- साथ ही, रूस ने एन्थ्रेसाइट, कोकिंग कोल और थर्मल कोल पर निर्यात शुल्क को हटा दिया है। यह कदम कोयला निर्यात को बढ़ावा देने और उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उठाया गया है।
- पर्यटक कर लागू करना और कोयला शुल्क हटाना, दोनों ही कदम रूस की अर्थव्यवस्था को विविध और मजबूत बनाने की योजना का हिस्सा हैं।

छत्तीसगढ़ की हरित जीडीपी योजना

- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद (Green GDP) से जोड़ा है। इस योजना का उद्देश्य वनों के पर्यावरणीय योगदान जैसे स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और कार्बन अवशोषण को आर्थिक प्रगति से जोड़ना है।
- राज्य की 44% भूमि वनों से आच्छादित है, जो लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं। वनों से प्राप्त तेंदू पत्ते, शहद, औषधीय पौधे और अन्य उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- यह पहल वन पारिस्थितिकी सेवाओं का मूल्यांकन और उन्हें राज्य की औपचारिक आर्थिक योजनाओं में शामिल करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करना है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- हरित जीडीपी का विचार छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है।

भुवनेश कुमार बने UIDAI के सीईओ

- हाल ही में 1 जनवरी 2025 को भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ का पदभार ग्रहण किया। वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं।
- UIDAI, जो आधार का संचालन करता है, भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब तक 1.41 बिलियन नागरिक आधार में पंजीकृत हो चुके हैं। 1.07 बिलियन से अधिक अपडेट और सुधार किए जा चुके हैं।
- आधार का उपयोग 127 बिलियन से अधिक नियमित प्रमाणीकरण और 21.8 बिलियन से अधिक ई-केवाईसी प्रक्रियाओं में हुआ है।
- भुवनेश कुमार ने अमित अग्रवाल का स्थान लिया, जो अब फार्मास्युटिकल विभाग के सचिव हैं। आधार के उपयोग से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और कुशलता आई है। भुवनेश कुमार की नियुक्ति के साथ, आधार से जुड़े प्रबंधकीय और तकनीकी कार्यों में और सुधार की उम्मीद है।

रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल

- 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया ने यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। इसके साथ ही इन देशों में भूमि सीमा नियंत्रण हटा दिया गया है। यह कदम 425 मिलियन से अधिक यूरोपीय नागरिकों के लिए मुक्त आवाजाही को सक्षम करेगा।
- शेंगेन क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त आवाजाही क्षेत्र है। इसमें अब यूरोपीय संघ के 27 में से 25 सदस्य देश शामिल हैं, साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर। रोमानिया और बुल्गारिया मार्च 2024 में आंशिक रूप से इस क्षेत्र में शामिल हुए थे, लेकिन तब यह सुविधा केवल हवाई और समुद्री यात्रा तक सीमित थी। अब यह भूमि मार्ग के लिए भी उपलब्ध है।
- इस पहल से न केवल इन देशों के आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बल मिलेगा, बल्कि यूरोपीय संघ की आंतरिक एकता भी मजबूत होगी।

भारत की पहली तटीय-जलचर पक्षी जनगणना

- गुजरात के जामनगर में 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय-जलचर पक्षी जनगणना आयोजित की गई। यह आयोजन वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण सोसायटी (BCSG) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें 50 से अधिक जलचर पक्षी शामिल हैं।
- इस जनगणना में विशेषज्ञ वार्ता, पक्षी गणना गतिविधियाँ और ज्ञान-साझाकरण सत्र आयोजित किए गए। यह पहल समुद्री जैव विविधता और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कच्छ की खाड़ी में स्थित यह संरक्षित क्षेत्र भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वनस्पतिशास्त्री के.एस. मणिलाल का निधन

- प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री के.एस. मणिलाल का 1 जनवरी 2025 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लैटिन ग्रंथ 'हॉर्टस मालाबारिकस' के अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थे। हॉर्टस मालाबारिकस मालाबार क्षेत्र की वनस्पतियों का दस्तावेजीकरण करता है। यह वनस्पति विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
- कालीकट विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख मणिलाल ने 200 से अधिक शोध पत्र और कई पुस्तकें प्रकाशित कीं। उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका योगदान वनस्पति विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com